

अनुच्छेद 22 →

1. हिरासत / बन्दी से संरक्षण।

निवारक नजरबन्द - 22(4) (6) → व्यक्तियों का अधिकार

(a) 3 महीने तक हिरासत में रखना

(b) 3 महीने से ज्यादा → सलाहकार परिषद
अध्यक्ष - उच्च न्यायालय
के न्यायाधीश

(c) सूचना, आधार बताया जाएगा।

(d) प्रतिनिधित्व का अधिकार होगा, अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा।

शोषण के विरुद्ध अधिकार → ① अनुच्छेद 23

- बेगार
 - मानव दुर्व्यापार
 - बलात् श्रम
- से संरक्षण

② अनुच्छेद 24 →

- 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खतरनाक उद्यमों, खदानों आदि में काम करने से संरक्षण।
- 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे घरेलू काम कर सकते हैं।

KGS IAS

